दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 12-06-2026

विषय सूची

PCPNDT अधिनियम का सख्त एवं प्रभावी प्रवर्तन आवश्यक : सर्वोच्च न्यायालय

भारत की केयर इकोनॉमी/देखभाल अर्थव्यवस्था : विकास के अदृश्य आधार को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता

भारत में प्रजनन दर में गिरावट

भारत में अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर अपर्याप्त व्यय

भारत का वस्त्र उद्योग : विकास का नया अध्याय

संक्षिप्त समाचार

- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA)
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा POCSO दोषसिद्धि निरस्त करने हेतु अनुच्छेद 142 का प्रयोग
- केरल में शिगेलोसिस का प्रकोप
- हिमार्स (HIMARS)
- एपिक्लोरोहाइड्रिन

PCPNDT अधिनियम का सख्त एवं प्रभावी प्रवर्तन आवश्यक : सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने **पूर्व गर्भाधान एवं प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (PCPNDT) अधिनियम** के सख्त एवं प्रभावी प्रवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया।

परिचय

- न्यायालय ने पुरुष संतान के प्रति समाज में विद्यमान निरंतर प्राथमिकता तथा गंभीरता से जुड़े पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के कारण लिंग-चयन संबंधी प्रथाओं के जारी रहने पर चिंता व्यक्त की।
    - हाल के वर्षों में हुई प्रगति को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि अभी भी अनेक चुनौतियाँ बनी हुई हैं तथा कई राज्यों में जन्म के समय लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम दर्ज किया जा रहा है।

पूर्व गर्भाधान एवं प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994

- यह भ्रूण के लिंग की पहचान एवं उसके प्रकटीकरण हेतु तकनीक के दुरुपयोग को नियंत्रित करने वाला प्रमुख विधिक ढाँचा है।
    - यह गर्भाधान से पूर्व अथवा गर्भाधान के पश्चात किसी भी प्रकार के लिंग-चयन को प्रतिबंधित करता है।
- सभी आनुवंशिक परामर्श केंद्रों, आनुवंशिक प्रयोगशालाओं, आनुवंशिक क्लीनिकों, अल्ट्रासाउंड केंद्रों तथा इमेजिंग केंद्रों का पंजीकरण अनिवार्य है।
- **दंड :**
    - **प्रथम अपराध:** अधिकतम 3 वर्ष का कारावास तथा ₹10,000 तक का जुर्माना।
    - **पुनरावृत्त अपराध:** अधिकतम 5 वर्ष का कारावास तथा अधिक राशि का जुर्माना।
    - चिकित्सा व्यवसायियों का पंजीकरण राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है।

भारत में लिंगानुपात

- **जनगणना 2011:**

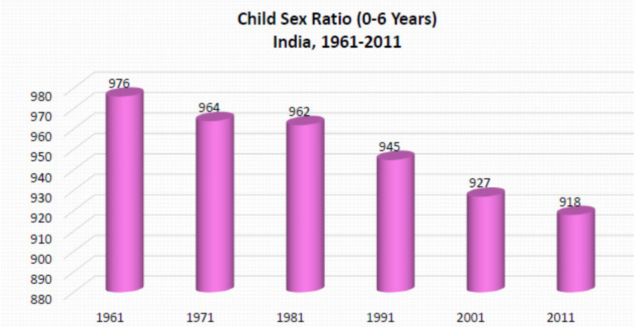

    - अखिल भारतीय स्तर पर लिंगानुपात **943** था, जबकि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में यह क्रमशः **949** और **929** था।
    - 0–19 वर्ष आयु वर्ग का लिंगानुपात **908** तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का लिंगानुपात **1033** था।
    - आर्थिक रूप से सक्रिय आयु वर्ग (15–59 वर्ष) का लिंगानुपात **944** था।
    - सर्वाधिक लिंगानुपात **केरल (1084)** में दर्ज किया गया, इसके बाद **पुदुच्चेरी (1037)** का स्थान रहा।
    - न्यूनतम लिंगानुपात **दमन एवं दीव (618)** में दर्ज किया गया, इसके बाद **दादरा एवं नगर हवेली (774)** तथा **चंडीगढ़ (818)** का स्थान रहा।
- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), 2021:** एनएफएचएस-5 के अनुसार भारत में जन्म के समय समग्र लिंगानुपात **929** था।
    - देश की कुल जनसंख्या का लिंगानुपात **1020** अनुमानित किया गया।

भारत में ऐतिहासिक रूप से लिंगानुपात में असंतुलन के कारण

- **पुत्र-प्राथमिकता की सांस्कृतिक प्रवृत्ति:** परिवार के नाम को आगे बढ़ाने, धार्मिक अनुष्ठानों के निर्वहन तथा वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा प्रदान करने के कारण पुत्रों को प्राथमिकता दी जाती रही।
    - दहेज प्रथा के कारण पुत्रियों को आर्थिक भार के रूप में देखा गया, जिससे उनकी उपेक्षा हुई।
- **लैंगिक भेदभाव:** बालिकाओं को पोषण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं में अपेक्षाकृत कम अवसर प्राप्त हुए, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु-दर अधिक रही।

- **कन्या भ्रूण हत्या एवं बालिका हत्या:** कुछ क्षेत्रों में बालिकाओं को कम महत्त्व दिए जाने के कारण उनका परित्याग अथवा हत्या की घटनाएँ सामने आती रहीं।
- **लिंग-चयनात्मक गर्भपात:** अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के विकास ने भ्रूण के लिंग की पहचान को संभव बनाया, जिससे लिंग-चयनात्मक गर्भपात की प्रवृत्ति बढ़ी।
- **आर्थिक कारक:** कृषि-प्रधान समाजों में पुत्रों के श्रम को अधिक उपयोगी माना जाता था, जिससे पुरुष संतान की प्राथमिकता सुदृढ़ हुई।

लिंगानुपात सुधार हेतु सरकारी पहलें

- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP):** वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई यह योजना लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने, बालिका के महत्व को बढ़ावा देने तथा बालिकाओं की शिक्षा तक पहुँच में सुधार लाने का प्रयास करती है।
  - यह कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम एवं बालिकाओं के कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी केंद्रित है।
- **सुकन्या समृद्धि योजना:** यह बालिकाओं के लिए एक बचत योजना है, जो परिवारों को उनकी शिक्षा एवं भविष्य की आवश्यकताओं हेतु बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
  - इससे बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिलता है।
- **मातृत्व लाभ योजनाएँ: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)** जैसी योजनाओं के माध्यम से गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - इसका उद्देश्य परिवारों पर आर्थिक भार को कम करना तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM):** यह कार्यक्रम महिलाओं के स्वास्थ्य, विशेषकर मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर केंद्रित है।
  - इसका उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं की मृत्यु-दर को कम करना है।
- **जन-जागरूकता अभियान एवं विधिक सुधार:** सरकार लैंगिक समानता के महत्व के प्रति समाज को जागरूक बनाने हेतु विभिन्न जागरूकता अभियानों का संचालन करती है।
  - साथ ही, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कानूनी सुधार भी किए जा रहे हैं।

आगे की राह

- **सामुदायिक जागरूकता एवं शिक्षा:** 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियानों को निरंतर जारी रखते हुए बालिका के महत्व तथा लैंगिक भेदभाव के दुष्परिणामों के प्रति व्यापक जागरूकता विकसित की जानी चाहिए।
- **महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार:** विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर उनकी मृत्यु-दर को कम किया जा सकता है।
- **सामाजिक मान्यताओं एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन:** लैंगिक संवेदनशील शिक्षा को प्रोत्साहन देना, पुरुषों की सहभागिता सुनिश्चित करना तथा दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन करना आवश्यक है।
  - इससे बालिकाओं के प्रति पारंपरिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।
- **सुदृढ़ आँकड़ा-संग्रह एवं अनुसंधान:** लिंगानुपात में असंतुलन के कारणों की निरंतर निगरानी एवं शोध किया जाना चाहिए।
  - इससे भावी नीतियों एवं हस्तक्षेपों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा तथा वर्तमान पहलों की सफलता का आकलन किया जा सकेगा।

Source: AIR

भारत की केयर इकोनॉमी/देखभाल अर्थव्यवस्था : विकास के अदृश्य आधार को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता

संदर्भ

- गृहिणियों को "राष्ट्र निर्माता" के रूप में मान्यता देने तथा अवैतनिक घरेलू देखभाल कार्य का न्यूनतम मूल्य ₹30,000 प्रति माह निर्धारित करने संबंधी **सर्वोच्च**

न्यायालय के 2026 के निर्णय ने भारत की **केयर इकोनॉमी/देखभाल अर्थव्यवस्था** की ओर पुनः व्यापक ध्यान आकर्षित किया है।

केयर इकोनॉमी/देखभाल अर्थव्यवस्था

- केयर इकोनॉमी/देखभाल अर्थव्यवस्था से आशय बच्चों, वृद्धजनों, दिव्यांग व्यक्तियों आदि की देखभाल से संबंधित सभी **सवैतनिक** एवं **अवैतनिक** गतिविधियों से है।
  - देखभाल कार्य आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में मानव विकास, श्रम उत्पादकता तथा सामाजिक कल्याण प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है।
- **अंतरराष्ट्रीयश्रम संगठन (ILO)** के अनुसार, देखभाल सेवाओं के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने से वर्ष 2030 तक विश्व स्तर पर **475 मिलियन रोजगारों** का सृजन किया जा सकता है।
  - भारत के संदर्भ में, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के **2% के बराबर प्रत्यक्ष सार्वजनिक निवेश** से लगभग **1.1 करोड़ रोजगार** उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिनमें से लगभग **70% रोजगार महिलाओं को प्राप्त होंगे।**

भारत की केयर इकोनॉमी/देखभाल अर्थव्यवस्था के घटक

- **अवैतनिक देखभाल कार्य:** इसमें बाल देखभाल, वृद्धजनों की देखभाल, भोजन पकाना, सफाई, घरेलू प्रबंधन तथा बीमार परिवारजनों की देखभाल जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।
  - ये कार्य परिवार के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, किन्तु अधिकांशतः अवैतनिक तथा औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं होते।
- **सवैतनिक देखभाल कार्य:** सवैतनिक देखभाल कार्य में स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, चिकित्सक, आशा कार्यकर्ता , आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, घरेलू कामगार, बाल देखभाल प्रदाता, सामाजिक कार्यकर्ता तथा अन्य देखभालकर्ताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ शामिल हैं।
  - ये सेवाएँ भारत के सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत ढाँचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
- **सामुदायिक देखभाल सेवाएँ:** सामुदायिक आधारित देखभाल सेवाओं में स्वयं सहायता समूहों (SHGs), सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से कमजोर एवं वंचित वर्गों को प्रदान की जाने वाली सहायता शामिल है।

देखभाल सेवाओं की मांग में वृद्धि के कारण

- **जनसांख्यिकीय संक्रमण:** भारत में वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण दीर्घकालिक वृद्ध देखभाल सेवाओं की आवश्यकता बढ़ रही है।
- **शहरीकरण एवं प्रवासन:** तीव्रता से बढ़ते शहरीकरण एवं प्रवासन के कारण पारंपरिक संयुक्त परिवार व्यवस्था कमजोर हो रही है।
  - परमाणु परिवारों के पास देखभाल संबंधी आवश्यकताओं हेतु अनौपचारिक सहायता तंत्र का अभाव होता है।
- **महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में वृद्धि:** अधिक संख्या में महिलाओं के कार्यबल में शामिल होने से संगठित बाल देखभाल एवं अन्य देखभाल सेवाओं की मांग बढ़ी है।

केयर इकोनॉमी/देखभाल अर्थव्यवस्था से संबंधित सरकारी पहलें

- **समेकित बाल विकास सेवा (ICDS):** वर्ष 1975 में प्रारम्भ की गई यह योजना आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रारंभिक बाल देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करती है।
  - लक्षित लाभार्थी:
    - 0–6 वर्ष तक के बच्चे
    - गर्भवती महिलाएँ
    - स्तनपान कराने वाली माताएँ

- प्रमुख सेवाएँ:
  - पूरक पोषण
  - टीकाकरण
  - स्वास्थ्य जांच
  - पूर्व-प्राथमिक शिक्षा
- **पोषण अभियान :** यह कार्यक्रम महिलाओं एवं बच्चों में **बौनापन**, **कुपोषण** तथा **एनीमिया** को कम करने पर केंद्रित है।
  - यह व्यवहार परिवर्तन, POSHAN ट्रैकर जैसी तकनीकों के उपयोग तथा स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं के अभिसरण को प्रोत्साहित करता है।
- **मिशन शक्ति:** यह महिलाओं के सशक्तिकरण एवं सुरक्षा हेतु एक समग्र कार्यक्रम है।
  - इसके अंतर्गत बाल देखभाल सेवाओं तथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को समर्थन देने वाली विभिन्न योजनाएँ सम्मिलित हैं।
- **पालना योजना:** यह योजना 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए डे-केयर सुविधाएँ उपलब्ध कराती है।
  - प्रमुख सुविधाएँ:
    - पोषण
    - स्वास्थ्य देखभाल
    - प्रारंभिक शिक्षण सहायता
    - यह योजना माताओं को कार्यबल में भागीदारी हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करती है।
    - यह मिशन शक्ति के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकारों के साझा वित्तीय सहयोग से संचालित होती है।

केयर इकोनॉमी/देखभाल अर्थव्यवस्था सुधारों के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **वित्तीय सीमाएँ :** देखभाल अवसंरचना के विस्तार तथा कार्यबल प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सार्वजनिक निवेश एवं दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।
- **देखभाल कार्य के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण:** देखभाल कार्य को अब भी सार्वजनिक नीति के विषय के बजाय निजी पारिवारिक दायित्व के रूप में देखा जाता है।
  - गहरे पैठे पितृसत्तात्मक मानदंड अवैतनिक देखभाल कार्य की उचित मान्यता में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- **कमजोर नियामकीय क्षमता:** भारत भर में देखभाल संस्थानों के लिए गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करना तथा उनकी निगरानी करना प्रशासनिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है।
- **प्रशिक्षित देखभाल कार्यबल का अभाव:** भारत में विशेष रूप से वृद्ध देखभाल, दिव्यांग सहायता तथा प्रारंभिक बाल देखभाल के क्षेत्रों में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं की कमी है।

आगे की राह

- **देखभाल को आवश्यक सामाजिक अवसंरचना के रूप में मान्यता देना:** नीतिनिर्माताओं को देखभाल सेवाओं को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के समान आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना के एक अनिवार्य घटक के रूप में स्वीकार करना चाहिए।
- **देखभाल सेवाओं में निवेश में प्रोत्साहन:** भारत को बाल देखभाल केन्द्रों, वृद्ध देखभाल संस्थानों, पुनर्वास केन्द्रों तथा सामुदायिक सहायता प्रणालियों में सार्वजनिक निवेश को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना चाहिए।
  - देखभाल संबंधी नीतियों को श्रम सुधारों, जेंडर बजटिंग तथा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के साथ समन्वित किया जाना चाहिए।
- **डेटा संग्रहण एवं मापन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण:** भारत को समय-उपयोग सर्वेक्षणों तथा सांख्यिकीय ढाँचों को सुदृढ़ करना चाहिए, ताकि अवैतनिक देखभाल कार्य के आर्थिक योगदान का अधिक सटीक आकलन किया जा सके।

Source: TH

भारत में प्रजनन दर में गिरावट

संदर्भ

- दशकों तक भारतीय नीति-निर्माताओं ने जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित किया। हालाँकि, हाल के वर्षों में भारत की **कुल प्रजनन दर (TFR)** घटकर **1.9** रह गई है।

नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024 के अनुसार TFR

- भारत की **कुल प्रजनन दर (TFR)**, अर्थात् किसी महिला द्वारा अपने प्रजनन काल (15–49 वर्ष) के दौरान जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या, अब **प्रतिस्थापन स्तर 2.1** से नीचे पहुँच गई है।
  - **प्रतिस्थापन दर** से आशय उन जन्मों की संख्या से है जो एक महिला को एक पीढ़ी से आगामी पीढ़ी तक प्रवासन के बिना जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए देने होते हैं।
- वर्ष 2024 में भारत के केवल निम्नलिखित राज्यों की TFR **2.1 से अधिक** थी—
  - बिहार
  - उत्तर प्रदेश
  - मध्य प्रदेश
  - राजस्थान
  - छत्तीसगढ़
- **दिल्ली** में सबसे निम्न TFR **1.2** दर्ज की गई, जबकि **तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल** में यह **1.3** रही।
  - दक्षिणी राज्यों में TFR सदैव राष्ट्रीय औसत से कम रही है और विगत दो दशकों में इसमें अधिक गिरावट आई है।
- वर्ष **1985** में भारत की TFR **4.3** थी, जो औसतन **प्रति वर्ष लगभग 0.06** की दर से घटती रही है और इस गिरावट के उलटने के कोई संकेत दिखाई नहीं देते।
  - वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार वर्ष **2031 तक भारत की TFR 1.6 से नीचे** पहुँचने का अनुमान है।

भारत में घटती प्रजनन दर के कारण

- **विवाह एवं मातृत्व में विलंब:** विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में विवाह की औसत आयु बढ़ी है।
  - करियर संबंधी प्राथमिकताओं के कारण दंपति संतानोत्पत्ति में विलंब कर रहे हैं।
- **शहरीकरण:** शहरी जीवन में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा बाल देखभाल की लागत अधिक होती है।
  - सीमित आवासीय स्थान एवं बदलती जीवनशैली छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करती है।
- **गर्भनिरोधक साधनों एवं परिवार नियोजन तक बेहतर पहुँच:** प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं एवं गर्भनिरोधक साधनों की उपलब्धता में विस्तार से दंपतियों को बच्चों की संख्या एवं उनके बीच अंतराल की बेहतर योजना बनाने में सहायता मिली है।
- **शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी:** स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण, पोषण तथा स्वच्छता में सुधार के कारण बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है।
- **आर्थिक कारक:** बच्चों के पालन-पोषण एवं शिक्षा की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
  - परिवार अब कम बच्चों पर अधिक संसाधन निवेश करना पसंद करते हैं, ताकि उनकी जीवन गुणवत्ता एवं शैक्षिक उपलब्धियाँ बेहतर हो सकें।
- **जनसांख्यिकीय संक्रमण:** भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के उत्तरवर्ती चरणों की ओर अग्रसर है, जिसकी विशेषताएँ निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर तथा धीमी जनसंख्या वृद्धि हैं।

प्रभाव

- **जनसंख्या वृद्धि में मंदी एवं अंततः स्थिरीकरण:** प्रतिस्थापन स्तर से कम प्रजनन दर का अर्थ है कि समय के साथ प्रत्येक नई पीढ़ी विगत पीढ़ी से छोटी होगी।
  - अंततः जनसंख्या स्थिर होगी और बाद में उसमें गिरावट आने की संभावना है।
- **वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि** दीर्घकाल तक निम्न प्रजनन दर बने रहने से वृद्ध नागरिकों का अनुपात बढ़ेगा।
  - भारत को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिनका सामना **जापान** और **दक्षिण कोरिया** जैसे देशों ने किया है, जैसे—
    - पेंशन देनदारियों में वृद्धि
    - स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि
    - जराचिकित्सा एवं सामाजिक सुरक्षा की बढ़ती मांग
- **भविष्य में श्रमबल संबंधी चुनौतियाँ:** जन्म दर में गिरावट से दीर्घकाल में श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी।
  - यदि उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती है, तो आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ सकती है।

- **क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय असंतुलन:** विभिन्न राज्यों में प्रजनन दरों में उल्लेखनीय अंतर है।
  - जहाँ अधिकांश दक्षिणी एवं पश्चिमी राज्यों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे है, वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में यह अपेक्षाकृत अधिक बनी हुई है।
  - इससे निम्नलिखित क्षेत्रों में परिवर्तन हो सकते हैं—
    - आंतरिक प्रवासन के स्वरूप
    - राजनीतिक प्रतिनिधित्व
    - संसाधनों का आवंटन
    - श्रम बाजार की गतिशीलता

सरकारी पहलें

- **राज्य स्तरीय जनसंख्या नीतियाँ: आंध्र प्रदेश की जनसंख्या प्रबंधन नीति (2026)** के अंतर्गत दूसरे, तीसरे एवं चौथे बच्चे के लिए नकद प्रोत्साहन, निःशुल्क शिक्षा सहायता, प्रजनन क्लीनिक तथा बेहतर मातृ स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।
  - **सिक्किम** ने घटती प्रजनन दर से निपटने के लिए विस्तारित मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश तथा IVF उपचार सहायता जैसी पहलें शुरू की हैं।
- **बांझपन सहायता कार्यक्रम: जियो पारसी योजना** पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या को रोकने हेतु बांझपन उपचार, बाल देखभाल सहायता तथा जन-जागरूकता कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजनाएँ: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, शिशु मृत्यु दर में कमी तथा परिवार निर्माण एवं संतानोत्पत्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ विकसित करने पर केंद्रित हैं।
  - **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)** जैसी योजनाएँ गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करती हैं।

आगे की राह

- **संतुलित जनसंख्या नीति अपनाना:** जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए ऐसी जनसांख्यिकीय रणनीति अपनाई जानी चाहिए जो जनसंख्या स्थिरीकरण एवं घटती प्रजनन दर दोनों चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित करे।
- **परिवार सहायता उपायों का सुदृढ़ीकरण:** युवा दंपतियों के लिए सस्ती बाल देखभाल सुविधाएँ, अभिभावकीय अवकाश तथा लचीली कार्य व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- **प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार:** विशेष रूप से छोटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बांझपन उपचार, सहायक प्रजनन तकनीकों (ART) तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाया जाना चाहिए।
- **लैंगिक समानता को प्रोत्साहन:** देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के समान वितरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा कार्यस्थलों पर सहायक नीतियों के माध्यम से महिलाओं की श्रमबल भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए।
- **राज्य-विशिष्ट हस्तक्षेपों पर ध्यान देना:** प्रजनन स्तर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं, इसलिए नीतियों को क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए।
- **मानव पूंजी में निवेश:** प्रजनन दर संबंधी उपायों के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि भारत अपने जनसांख्यिकीय संक्रमण से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके।

निष्कर्ष

- भारत की घटती प्रजनन दर के प्रति प्रतिक्रिया का उद्देश्य केवल जन्म दर बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण निर्मित करना होना चाहिए जिसमें व्यक्ति और परिवार अपनी इच्छानुसार बच्चों की संख्या का चयन कर सकें तथा साथ ही सतत आर्थिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

Source: TH

भारत में अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर अपर्याप्त व्यय

संदर्भ

- भारत में अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर कम व्यय किसी एक कारण का परिणाम नहीं है, बल्कि यह प्रणालीगत, ऐतिहासिक, वित्तीय तथा सांस्कृतिक कारकों की परस्पर क्रिया का संयुक्त प्रभाव है।

R&D पर कम व्यय के कारण

- **विशाल घरेलू बाज़ार और सीमित प्रतिस्पर्धात्मक दबाव::** भारत का विशाल घरेलू बाज़ार कंपनियों को तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना किए बिना विकसित होने की अनुमति देता है। इससे जोखिमपूर्ण और महंगी अग्रणी नवाचार गतिविधियों में निवेश करने की प्रेरणा कम हो जाती है।
- **औपनिवेशिक विमुद्योगीकरण की ऐतिहासिक विरासत:** औपनिवेशिक नीतियों ने स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं को कमजोर किया तथा व्यापार-केंद्रित व्यावसायिक संस्कृति को प्रोत्साहन दिया। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया के कारण नवाचार-आधारित विनिर्माण पर अपेक्षाकृत कम बल दिया गया।
- **कॉर्पोरेट क्षेत्र का समयपूर्व वित्तीयकरण:** अनेक कंपनियाँ दीर्घकालिक निवेशों, जैसे R&D, की अपेक्षा अल्पकालिक वित्तीय प्रतिफलों को प्राथमिकता देती हैं। शेयरधारकों का दबाव तथा तिमाही प्रदर्शन पर अत्यधिक ध्यान नवाचार संबंधी व्यय को हतोत्साहित करता है।
- **उच्च अनिश्चितता और जोखिम से बचाव की प्रवृत्ति:** दीर्घावधि वाले R&D परियोजनाओं में विनियामक व्यवस्था, बाज़ार तथा प्रतिफल से जुड़ी अनिश्चितताएँ होती हैं। परिणामस्वरूप व्यवसाय भविष्य के लाभों का मूल्यांकन उच्च छूट दर से करते हैं और अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेशों को प्राथमिकता देते हैं।
- **उद्योगों की सीमित भागीदारी:** भारत का सकल घरेलू अनुसंधान एवं विकास व्यय (GERD) सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 0.6–0.7% बना हुआ है, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान प्रमुख नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अत्यंत कम है।

भारत में R&D व्यय

- भारत का सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय (GERD) GDP के लगभग 0.6% से 0.7% के बीच रहा है, जो वैश्विक औसत से कम है तथा चीन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में काफी निम्न स्तर पर है।
- इसका एक प्रमुख कारण भारत के निजी क्षेत्र का अपेक्षाकृत कम निवेश है, जिसका योगदान केवल लगभग 36% है, जबकि उपर्युक्त देशों में निजी क्षेत्र का योगदान 70% से अधिक है।
- कुल R&D व्यय में केंद्र सरकार का योगदान लगभग 43.7% है।

R&D में निवेश की आवश्यकता

- **आर्थिक विकास:** नए उद्योगों के विकास, उत्पादकता में वृद्धि तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने में सहायता करता है।
- **तकनीकी प्रगति:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जैव-प्रौद्योगिकी तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नवाचारों एवं उपलब्धियों को प्रोत्साहित करता है।
- **सामाजिक चुनौतियों का समाधान:** निर्धनता, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पर्यावरणीय स्थिरता जैसी समस्याओं के समाधान में सहायक होता है।
- **रोजगार सृजन:** नवाचार नए रोजगार अवसर उत्पन्न करता है तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है।
- **वैश्विक प्रतिष्ठा:** भारत को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने में सहायक होता है।
- **निवेश आकर्षण:** अनुसंधान-आधारित क्षेत्रों में घरेलू एवं विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देता है।

सरकारी पहलें

- **अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (RDI) योजना:** ₹1 लाख करोड़ के कोष के साथ स्वीकृत इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र के R&D तथा डीप-टेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना है।
    - यह योजना दीर्घकालिक, कम अथवा शून्य ब्याज दर वाले ऋण, इक्विटी निवेश तथा अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के माध्यम से एक नए डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स को वित्तपोषित करती है।
- **अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF):** वर्ष 2023 में स्थापित ANRF विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करता है।
    - इसका लक्ष्य 2023–28 की अवधि में विभिन्न स्रोतों—ANRF फंड, इनोवेशन फंड, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान फंड तथा विशेष प्रयोजन निधियों—के माध्यम से ₹50,000 करोड़ एकत्रित करना है।

- **राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022:** इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2035 तक भारत को भू-स्थानिक क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाना है।
    - यह नीति भू-स्थानिक डेटा तक पहुँच को उदार बनाती है, जिससे शासन, व्यवसाय और अनुसंधान में इसके उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है।
- **भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023:** यह नीति वर्ष 2020 में आरंभ किए गए अंतरिक्ष सुधारों को आगे बढ़ाती है, जिनके अंतर्गत गैर-सरकारी संस्थाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूर्ण भागीदारी की अनुमति दी गई थी।
    - इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षमताओं का विस्तार करना, एक सशक्त वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग विकसित करना तथा सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देना है।
- **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन:** वर्ष 2023–31 के लिए ₹6,003.65 करोड़ के आवंटन के साथ यह मिशन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक R&D के माध्यम से क्वांटम प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहन देता है।
- **बायोE3 नीति, 2024:** यह नीति जैव-विनिर्माण) तथा बायो-AI हब्स की स्थापना और राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क के विकास को प्रोत्साहित करती है, ताकि प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यावसायीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
- **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM):** वर्ष 2015 में प्रारंभ इस मिशन का उद्देश्य विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों तथा सरकारी एजेंसियों को अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटिंग प्रणालियों से सशक्त बनाना है, जिन्हें राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जोड़ा गया है।
- **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM):** वर्ष 2021 में स्थापित इस मिशन का उद्देश्य सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण के लिए एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
    - भारत ने पहले ही छह राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिनमें ओडिशा में स्थापित होने वाली प्रथम वाणिज्यिक सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण इकाई भी शामिल है।
- **इंडिया AI मिशन:** "भारत में AI का निर्माण और भारत के लिए AI का उपयोग" की परिकल्पना पर आधारित यह मिशन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।
    - इसने अपनी प्रारंभिक 10,000 GPU क्षमता के लक्ष्य को बढ़ाकर 38,000 GPU तक पहुँचाया है, जिससे स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और उद्योगों के लिए AI अवसंरचना अधिक सुलभ हो रही है।
- **अटल नवाचार मिशन (AIM):** इसका उद्देश्य छात्रों, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को सहयोग प्रदान कर बुनियादी स्तर पर नवाचार को प्रोत्साहित करना है।
- **उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन:** यह मिशन अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने तथा उच्च उत्पादकता, कीट-प्रतिरोधी एवं जलवायु-अनुकूल बीजों के विकास पर केंद्रित होगा।
    - यह जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के कृषि जैव-प्रौद्योगिकी संबंधी प्रयासों के अनुरूप कार्य करेगा।

Source: IE

भारत का वस्त्र उद्योग : विकास का नया अध्याय

संदर्भ

- केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने भारत के वस्त्र क्षेत्र की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए इसे एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, नवाचार-संचालित तथा रोजगार-सघन उद्योग के रूप में विकसित होने पर बल दिया।

भारत का वस्त्र क्षेत्र

- **घरेलू व्यापार में योगदान:** भारत का घरेलू परिधान एवं वस्त्र उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग **2.3%**, औद्योगिक उत्पादन में **13%** तथा कुल निर्यात में **12%** का योगदान देता है।
    - वर्ष **2025-26** तक इसका आकार बढ़कर लगभग **190 अरब अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया है।
- **वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी:** वैश्विक वस्त्र एवं परिधान व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग **4%** है।
- **निर्यात :** भारत विश्व का **छठा सबसे बड़ा वस्त्र एवं परिधान निर्यातक** है।

- भारत के कुल निर्यात में वस्त्र एवं परिधान (T&A) सहित हस्तशिल्प का योगदान वर्ष **2023-24** में **8.21%** रहा।
- **कच्चे माल का उत्पादन:** भारत विश्व के सबसे बड़े **कपास एवं जूट उत्पादकों** में से एक है।
  - भारत विश्व का **दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक** भी है तथा विश्व के कुल **हाथ से बुने हुए वस्त्रों** का लगभग **95% उत्पादन भारत में होता है।**
- **रोजगार सृजन :** वस्त्र उद्योग देश का **दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता** है।
  - यह क्षेत्र लगभग **4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार** तथा संबद्ध क्षेत्रों में **10 करोड़ लोगों को रोजगार** प्रदान करता है।
- **प्रमुख क्षेत्र : आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड तथा गुजरात** भारत के प्रमुख वस्त्र एवं परिधान विनिर्माण राज्य हैं।

वस्त्र क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु पहलें

- **पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एवं अपैरल (PM MITRA) पार्क योजना:** इस योजना का उद्देश्य **तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश** में **7 मेगा एकीकृत वस्त्र पार्कों** का विकास करना है।
  - इसका लक्ष्य आधुनिक, एकीकृत तथा विश्वस्तरीय **प्लग-एंड-प्ले वस्त्र अवसंरचना** का निर्माण करना है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश:** जापानी निवेश भारत की **"मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड"** तथा **"चाइना-प्लस-वन"** विनिर्माण रणनीतियों के अनुरूप है।
  - यह निवेश वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सुदृढ़ करने में सहायक है।
- **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना:** वस्त्र क्षेत्र हेतु PLI योजना को **मानव-निर्मित फाइबर (MMF) परिधान, MMF वस्त्र तथा तकनीकी वस्त्रों** के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत किया गया।
  - इसका उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र को आवश्यक **आकार** एवं **पैमाना** प्रदान कर उसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।
- **निर्यात संवर्धन परिषदें :** वस्त्र एवं परिधान मूल्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों का प्रतिनिधित्व करने वाली **11 निर्यात संवर्धन परिषदें** कार्यरत हैं।
  - ये परिषदें फाइबर से लेकर तैयार उत्पादों तक तथा हस्तकरघा, हस्तशिल्प एवं कालीन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन प्रदान करती हैं।
- **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन:** वर्ष **2020** में प्रारंभ इस मिशन का उद्देश्य भारत में **तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन, नवाचार तथा निर्यात** को बढ़ावा देना है।
- **राष्ट्रीय फाइबर मिशन:** इसका उद्देश्य प्राकृतिक एवं मानव-निर्मित रेशों की **उत्पादकता, गुणवत्ता तथा सततता** में सुधार करना है।
- **हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र:** राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग ₹2,000 करोड़ का निवेश किया गया है।
  - **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM), इंडिया हैंडमेड पोर्टल, GI टैगिंग, मेगा हैंडलूम क्लस्टर तथा बुनकर मुद्रा योजना** जैसी पहलों ने बाजार के अवसरों का विस्तार किया है तथा कारीगरों की आय को सुदृढ़ बनाया है।

भारत के वस्त्र क्षेत्र की चुनौतियाँ

- **खंडित औद्योगिक संरचना:** यह क्षेत्र अत्यधिक खंडित है, जिसमें लघु एवं अनौपचारिक उद्यमों का प्रभुत्व है।
  - ये इकाइयाँ विस्तार, प्रौद्योगिकी अपनाने तथा औपचारिक वित्त तक पहुँच में अनेक बाधाओं का सामना करती हैं।
- **श्रम उत्पादकता एवं कौशल अंतराल:** प्राचीन उत्पादन प्रणालियों, सीमित औपचारिक प्रशिक्षण तथा उद्योग-शिक्षा जगत के कमजोर संबंधों के कारण श्रम उत्पादकता कम बनी हुई है।
  - कौशल विकास की कमी भी एक प्रमुख चुनौती है।
- **उच्च लॉजिस्टिक एवं लेन-देन लागत:** भारत में उच्च परिवहन एवं लेन-देन लागत के साथ-साथ सीमा शुल्क निकासी में विलंब भी देखने को मिलता है।
  - इससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।

- **सस्ती ऋण सुविधा की सीमित उपलब्धता:** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) तथा हस्तकरघा इकाइयों के लिए किफायती ऋण तक पहुँच अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है।

आगे की राह

- **ब्रांडिंग एवं विपणन का सुदृढ़ीकरण:** जिलों को अनुबंध-आधारित विनिर्माण से आगे बढ़ाकर स्वयं के ब्रांड तथा भौगोलिक संकेतक (GI) आधारित उत्पादों की दिशा में ले जाने के लिए सशक्त ब्रांडिंग, डिजाइन एवं विपणन सहायता आवश्यक है।
- **नियमित प्रभाव मूल्यांकन:** निर्यात प्रदर्शन, रोजगार सृजन तथा औपचारिकीकरण के संकेतकों के आधार पर नियमित प्रभाव मूल्यांकन एवं आवश्यक सुधार की व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं डेटा प्रणाली का उपयोग:** जिला स्तर पर उत्पादन, कौशल विकास के परिणामों, निर्यात प्रदर्शन तथा बाजार संपर्कों की वास्तविक समय निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं डेटा प्रणालियों का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA)

संदर्भ

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि वर्ष 2027 तक पूर्वोत्तर भारत के लगभग पूरे क्षेत्र से **सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA)** को वापस लिए जाने की संभावना है, केवल एक या दो राज्यों को छोड़कर।

AFSPA क्या है?

- **सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958** सशस्त्र बलों को उन क्षेत्रों में कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान करता है जिन्हें **"अशांत क्षेत्र"** घोषित किया गया हो।
- यह अधिनियम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने तथा उग्रवाद एवं विद्रोह से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है।
- **प्रमुख प्रावधान :** किसी राज्य का **राज्यपाल**, किसी केंद्रशासित प्रदेश का **प्रशासक**, अथवा **केंद्र सरकार** किसी क्षेत्र को "अशांत क्षेत्र" घोषित कर सकती है।
  - यह अधिनियम सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं—
    - बल प्रयोग करना (निर्धारित परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने तक),
    - बिना वारंट गिरफ्तारी,
    - बिना वारंट तलाशी,
    - हथियारों के भंडार अथवा उग्रवादियों के ठिकानों का विनाश।
  - AFSPA के अंतर्गत की गई कार्रवाई के लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों के विरुद्ध **केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति** के बिना कोई अभियोजन, वाद अथवा अन्य कानूनी कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती।

AFSPA पर प्रमुख समितियाँ

- **न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी समिति (2005):** समिति ने AFSPA को निरस्त करने की अनुशंसा की।
  - इसके आवश्यक प्रावधानों को **गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम [UAPA], 1967** में सम्मिलित करने का सुझाव दिया।
  - साथ ही, शिकायत निवारण एवं जवाबदेही तंत्र को अधिक सुदृढ़ बनाने की अनुशंसा की।
- **संतोष हेगड़े आयोग (2013):** आयोग ने पाया कि मणिपुर में जाँच किए गए छह मुठभेड़ मामलों में से कोई भी वास्तविक नहीं था।
  - इसने AFSPA के प्रावधानों के दुरुपयोग को रेखांकित किया।
  - आयोग ने अधिक जवाबदेही तथा अधिनियम की समय-समय पर समीक्षा की अनुशंसा की।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007):** आयोग ने AFSPA को निरस्त करने की अनुशंसा की।
  - आयोग का मत था कि यह अधिनियम प्रभावित क्षेत्रों में भेदभाव एवं अलगाव का प्रतीक बन गया है।

स्रोत: द हिंदू (TH)

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा POCSO दोषसिद्धि निरस्त करने हेतु अनुच्छेद 142 का प्रयोग

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के **अनुच्छेद 142** के अंतर्गत प्राप्त अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act)** के अंतगर्त दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को निरस्त कर दिया।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142

- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 142** सर्वोच्च न्यायालय को किसी लंबित मामले में **"पूर्ण न्याय"** सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक आदेश या डिक्री पारित करने की असाधारण शक्ति प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य विधिक प्रावधानों में विद्यमान रिक्तताओं को भरना तथा ऐसी परिस्थितियों में न्यायसंगत राहत प्रदान करना है जहाँ कानून का कठोर अनुप्रयोग अन्यायपूर्ण परिणाम उत्पन्न कर सकता हो।

POCSO अधिनियम क्या है?

- **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012** को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बच्चों को यौन शोषण एवं यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था।
- यह अधिनियम निम्नलिखित अपराधों को दंडनीय बनाता है—
  - प्रवेशी यौन हमला,
  - गैर-प्रवेशी यौन हमला,
  - यौन उत्पीड़न,
  - बाल अश्लीलता।
- यह अधिनियम **18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों** पर लागू होता है।
- POCSO एक **लिंग-तटस्थ** कानून है तथा यह मानता है कि नाबालिग यौन गतिविधियों के लिए वैध सहमति नहीं दे सकते।
- यह अधिनियम बाल-अनुकूल न्यायिक प्रक्रियाएँ सुनिश्चित करता है, जिनमें शामिल हैं—
  - विशेष न्यायालय,
  - बंद कक्ष में सुनवाई,
  - वीडियो रिकॉर्ड की गई गवाही।
- यह अधिनियम यौन उद्देश्यों से बाल तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों को भी दंडित करता है तथा अपराध की गंभीरता के आधार पर कठोर दंड का प्रावधान करता है।

स्रोत: द हिंदू (TH)

केरल में शिगेलोसिस का प्रकोप

संदर्भ

- केरल में जून 2026 तक **शिगेलोसिस (बेसिलरी पेचिश)** के **85 पुष्ट मामले** तथा **70 से अधिक संभावित मामले** दर्ज किए गए हैं।

शिगेलोसिस क्या है?

- **शिगेलोसिस** एक अत्यंत संक्रामक जीवाणुजनित संक्रमण है, जो **शिगेला** वंश के जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है।
- यह मुख्य रूप से आंतों को प्रभावित करता है तथा **बेसिलरी पेचिश** का कारण बनता है, जिसकी प्रमुख विशेषता गंभीर दस्त है।
- लक्षण:
  - बुखार
  - दस्त (अक्सर रक्त अथवा श्लेष्मा/म्यूकस के साथ)
  - उल्टी एवं मतली
  - पेट में ऐंठन एवं दर्द
  - कमजोरी तथा निर्जलीकरण
- संचरण:
  - दूषित भोजन एवं जल के सेवन से।
  - मल-मुख (Fecal-Oral) मार्ग के माध्यम से व्यक्ति-से-व्यक्ति संपर्क द्वारा।

स्रोत: द हिंदू (TH)

हिमार्स(HIMARS)

संदर्भ

- ताइवान ने हाल ही में ताइवान जलडमरूमध्य में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम (HIMARS) का उपयोग करते हुए अपना प्रथम प्रत्यक्ष सैन्य अभ्यास किया। यह अभ्यास संभावित चीनी सैन्य खतरे के विरुद्ध रक्षा परिदृश्य का अनुकरण करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

HIMARS के बारे में

- हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम (HIMARS) अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई एक मोबाइल रॉकेट तोपखाना प्रणाली है, जिसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन द्वारा किया जाता है।
- यह छह पहियों वाले ट्रक पर स्थापित होती है, जिससे इसे सड़कों तथा दुर्गम भू-भागों पर तीव्र गति से संचालित किया जा सकता है।
- यह प्रणाली अपनी "शूट एंड स्कूट" क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, जिसके अंतर्गत यह रॉकेट दागने के तुरंत बाद अपना स्थान बदल सकती है, जिससे शत्रु के जवाबी हमलों से बचाव संभव होता है।
- लगभग 300 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ HIMARS ताइवान जलडमरूमध्य के पार स्थित लक्ष्यों पर प्रहार कर सकती है, जिनमें चीन के फ़ुज़ियान प्रांत के तटीय क्षेत्र भी शामिल हैं।

क्या आप जानते हैं?

- रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान HIMARS का व्यापक उपयोग किया गया है।
- यह यूक्रेन की प्रमुख दीर्घ-दूरी प्रहार प्रणालियों में से एक के रूप में उभरी है।

स्रोत: CNN

एपिक्लोरोहाइड्रिन

संदर्भ

- भारत ने एपिक्लोरोहाइड्रिन नामक कागज़ को मजबूत बनाने वाले रसायन तथा चाय बैगों के निर्माण में प्रयुक्त क्लोरीन ब्लीचिंग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। एपिक्लोरोहाइड्रिन को संभावित कैंसरकारी पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एपिक्लोरोहाइड्रिन के बारे में

- एपिक्लोरोहाइड्रिन एक रासायनिक पदार्थ है, जिसका उपयोग सामान्यतः कागज़ निर्माण उद्योग में कागज़ की सुदृढ़ता एवं सततता बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- इसका उपयोग चाय बैग के कागज़ के निर्माण में किया जाता रहा है, ताकि उबालने या चाय बनाने की प्रक्रिया के दौरान वे फटने से सुरक्षित रहें।
- अंतरराष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्था (IARC) ने एपिक्लोरोहाइड्रिन को "संभवतः मनुष्यों के लिए कैंसरकारी" श्रेणी में वर्गीकृत किया है।
- यह चिंता व्यक्त की गई है कि जब चाय बैगों को गर्म जल में डुबोया जाता है, तब इस रसायन के अवशेष पेय पदार्थ में मिल सकते हैं।
- इस प्रतिबंध का उद्देश्य खाद्य-संपर्क सामग्री में उपस्थित खतरनाक रसायनों के दीर्घकालिक संपर्क से उत्पन्न संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है।

स्रोत: Mint

■■■